



प्रेस नोट – थाना चकेरी

अंतर्जनपदीय वाहन चोर चकेरी पुलिस ने दबोचे

कानपुरा थाना चकेरी पुलिस ने रविवार को अंतर्जनपदीय वाहन चोरों को दबोच लिया। अभियुक्तों के पास से चोरी के छह दोपहिया वाहन भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। अभियुक्तों की पहचान प्रशांत कुमार शुक्ला उर्फ मोनू पुत्र स्व० बिहारी लाल नि० 106 मंगला विहार द्वितीय थाना चकेरी व अभियुक्त विवेक उर्फ वीरू मिश्रा पुत्र सुरेश चन्द्र मिश्रा नि० ग्राम रेवाड़ी थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर हाल पता मामा पीसीओ के पास मंगला विहार प्रथम थाना चकेरी के रूप में हुई। उनके पास से चोरी की छह मोटर साइकिल भी बरामद हुई हैं। अभियुक्त प्रशांत शुक्ला थाना चकेरी का हिस्ट्रीशीटर है। जिसका एचएस नं० 1382ए है। उपरोक्त दोनो अभियुक्त जनपद कानपुर नगर, जनपद फतेहपुर व अन्य शहरों से मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। दोनों अभियुक्तों को पटेल नगर क्रासिंग 00.30 बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ करके वाहन चोरों के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रशांत कुमार शुक्ला उर्फ मोनू पुत्र स्व० बिहारी लाल नि० 106 मंगला विहार द्वितीय थाना चकेरी

1. मु०अ०सं० 699/2008 धारा 379/411 भादवि० थाना चकेरी कानपुर नगर
2. मु०अ०सं० 1371/2017 धारा 379/411 भादवि० थाना चकेरी कानपुर नगर
3. मु०अ०सं० 1450/2017 धारा 379/411 भादवि० थाना चकेरी कानपुर नगर
4. मु०अ०सं० 32/2018 धारा 379/411 भादवि० थाना चकेरी कानपुर नगर
5. मु०अ०सं० 47/2018 धारा 379/411 भादवि० थाना चकेरी कानपुर नगर
6. मु०अ०सं० 49/2018 धारा 411/414 भादवि० थाना चकेरी कानपुर नगर
7. मु०अ०सं० 661/2018 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चकेरी कानपुर नगर
8. मु०अ०सं० 276/2011 धारा 379/411 भादवि० थाना नजीराबाद कानपुर नगर
9. मु०अ०सं० 278/2011 धारा 307 पुलिस मुठभेड़ थाना नजीराबाद कानपुर नगर

10. मु0अ0सं0 279/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीराबाद कानपुर नगर
11. मु0अ0सं0 302/2011 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना नजीराबाद कानपुर नगर
12. मु0अ0सं0 873/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर
13. मु0अ0सं0 876/2022 धारा 41/411 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर
- आपराधिक इतिहास अभियुक्त विवेक उर्फ वीरू मिश्रा पुत्र सुरेश चन्द्र मिश्रा नि0 ग्राम रेवाड़ी थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर हाल पता मामा पीसीओ के पास मंगला विहार प्रथम थाना चकेरी

1. मु0अ0सं0 49/2018 धारा 411/414 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 32/2018 धारा 379/411 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0 47/2018 धारा 379/411 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर
4. मु0अ0सं0 1450/2017 धारा 379/411 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर
5. मु0अ0सं0 50/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकेरी कानपुर नगर
6. मु0अ0सं0 1371/2017 धारा 379/411 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर
7. मु0अ0सं0 0003/14 धारा 379/411 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर
8. मु0अ0सं0 0006/2014 धारा 379/411 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर
9. मु0अ0सं0 661/2018 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चकेरी कानपुर नगर
10. मु0अ0सं0 873/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर
11. मु0अ0सं0 876/2022 धारा 41/411 भादवि0 थाना चकेरी कानपुर नगर

बरामदगी:- 06 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी

गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह, उ0नि0 राजेश कुमार यादव, उ0नि0 अमित चौधरी, हे0कां0 विनोद कुमार सिंह, हे0कां0 सुबोध कुमार, हे0कां0 सुनील कुमार यादव, कां0 संजीव भाटी, कां0 सुहैल, कां0 दिलीप कुमार यादव शामिल रहे।